अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3040(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2545 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डी-सीएससीयूएस-एजुकेशन सेंटर (डेवलेपमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन सेंटर), निंगघौरखोंग बाजार एरिया, बिशनपुर जिला, मणिपुर-795126'' द्वारा "श्री सांई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल का विस्तार'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे बाद में दिनांक 9 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2398 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि 9 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2398(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 24.52 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 44.47 करोड़ रूपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 44.47 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 67.88 करोड़ रूपये तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 44.47 करोड़ रूपए से 67.88 लाख रूपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "डी-सीएससीयूएस-एजुकेशन सेंटर (डेवलेपमेंट ऑफ कम्यूनिकेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन सेंटर), निंगघौरखोंग बाजार एरिया, बिशनपुर जिला, मणिपुर-795126'' द्वारा चलाई जा रही "श्री सांई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल का विस्तार'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 6 अक्तूबर, 2009 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 2545(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 10 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में "44.47 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शबदों को "67.88 करोड़ रूपये" अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 230/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)